

अत्यावश्यक
पंचायत उप निर्वाचन, 2025



राज्य निर्वाचन आयोग,
बिहार
STATE ELECTION COMMISSION,
BIHAR

पत्रांक - प.नि. 30-119/2021 - 29.7.25
प्रेषक,

मुकेश कुमार सिन्हा (भा.प्र.से.)
सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी-सह-
जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत)

पटना, दिनांक - 2.7.25

विषय : पंचायत उप निर्वाचन, 2025 : दिनांक 04.07.2025 को अपराह्न 3.00 बजे से जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत) एवं निर्वाची पदाधिकारी के साथ विडियो कॉन्फ्रेंसिंग बैठक के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि पंचायत उप निर्वाचन, 2025 के निमित्त मतदान एवं मतगणना की तैयारी से संबंधित समीक्षा हेतु दिनांक 04.07.2025 को अपराह्न 3.00 बजे से संलग्न कार्यसूची के अनुसार जिला पंचायत राज पदाधिकारी-सह-जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत), डी.आई.ओ. एवं आई.टी.मैनेजर तथा संबंधित निर्वाची पदाधिकारी एवं सहायक निर्वाचन पदाधिकारी एवं तकनीकी कर्मी के साथ माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा विडियो कॉन्फ्रेंसिंग किया जाना है।

अनुरोध है कि दिनांक 04.07.2025 को अपराह्न 3.00 बजे संबंधित पदाधिकारी को कार्य सूची के अनुसार ससमय विडियो कॉन्फ्रेंसिंग में भाग लेने हेतु निदेशित करने की कृपा की जाय।

अनुलग्नक : यथोक्त।

विश्वासभाजन,

सचिव।

ज्ञापांक - प.नि. 30-119/2021 - 29.7.25 -

प्रतिलिपि - आई.टी. मैनेजर को आयोग के वेबसाइट पर आयोग का पत्र अपलोड कराने हेतु प्रेषित।

पटना, दिनांक - 2.7.25

सचिव।

ज्ञापांक - प.नि. 30-119/2021 - 29.7.25 -

प्रतिलिपि - सभी जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत) एवं सभी संबंधित निर्वाची पदाधिकारी (पंचायत),

डी.आई.ओ. एवं आई.टी.मैनेजर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

पटना, दिनांक - 2.7.25

सचिव।

ज्ञापांक - प.नि. 30-119/2021 - 2977

पटना, दिनांक - 2.7.25

प्रतिलिपि - सभी प्रमण्डलीय आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।प्रेषित।


सचिव।

ज्ञापांक - प.नि. 30-119/2021 - 2977

पटना, दिनांक - 2.7.25

प्रतिलिपि - सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।प्रेषित।


सचिव।

पंचायत उप निवाचन, 2025

निर्वाचन तैयारी की समीक्षा के निमित्त विडियो कॉन्फ्रेंसिंग
दिनांक 04.07.2025

कार्यसूची

1. मतदान दिवस एप्पस के संचालन हेतु प्रशिक्षण (पीठासीन पदाधिकारी, पी.सी.सी.पी., सेक्टर पदाधिकारी के लिए)
2. मतदान केन्द्र पर मतदाताओं के पहचान हेतु Facial Recognition System (FRS) का उपयोग
3. कार्मिकों का प्रशिक्षण। तकनीकी कर्मी के रूप में प्रतिनियुक्त कर्मी P3B का प्रशिक्षण
4. सभी मतदान केन्द्रों पर वेबकास्टिंग
5. मतगणना हॉल की तैयारी
6. बज्रगृह में इलेक्ट्रॉनिक लॉक का उपयोग
7. मतगणना केन्द्र पर ई.वी.एम. (सी.यू.) के डिस्प्ले से प्राप्त ऑकड़ों का ओ.सी.आर पद्धति द्वारा मतगणना परिणाम प्राप्त करने की तैयारी
8. नियंत्रण कक्ष (निर्वाची पदाधिकारी स्तर एवं जिला स्तर)
9. सशस्त्र बलों की प्रतिनियुक्ति (Force Deployment Plan)
10. विधि-व्यवस्था संधारण
11. मतदाता पर्ची का वितरण
12. अन्यान्य।